आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वितीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 20/Ayush-b-7/23/21(20)B **दिनांक -** 01-Dec-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100320008010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय 03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 200 - अन्य पद्धतियां 08 - आयुष प्रक्षेत्र-आधारभूत संरचना 01-आयुष प्रक्षेत्र- आधारभूत संरचना 05 - निर्माण **State Scheme**	75046	RGHMED036 DR PRABHU NARAYAN JAIN DIST AYUSH MEDICAL OFFICER 45 - निर्माण कार्य	3,977,145.00 रुपये उनचालीस लाख सित्योत्तर हजार एक सौ पैंतालीस

State Scheme : STRENGTHENING OF AYUSH SECTOR(1684)

Centeral Scheme : NA

योग: 3,977,145.00

क्रमिक योग: रुपये उनचालीस लाख सित्योत्तर हजार एक सौ पैंतालीस

(AJOY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

 49.37.67.19 **Run Date:** 1/12/2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान & 200 - अन्य पद्धतियां & 08 - आयुष प्रक्षेत्र-आधारभूत संरचना

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100320008010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ramgarh	RGHMED036	Dr Prabhu Narayan Jain	Dist Ayush Medical Officer	₹39,77,145.00 (75046)	₹39,77,145.00

कुल आवंटित राशि :- ₹39,77,145.00 (उनचालीस लाख सित्योत्तर हजार एक सौ पैंतालीस **) रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

पत्र सं0–20/आयुष–बजट–07/2023– 21 (20) ब

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव ।

सेवामें,

जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी,
रामगढ़ ।

रांची, दिनांकः 28.11.2025

विषयः राज्य स्कीम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में जिला संयुक्त औषद्यालय–सह–कार्यालय, रामगढ़ के भवन निर्माण हेतु कुल 39,77,145/–(उनचालीस लाख सत्तहतर हजार एक सौ पैतालीस) रुपए मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 67 दिनांक 19.05.2023 के आलोक में जिला संयुक्त औषद्यालय–सह–कार्यालय, रामगढ़ के भवन निर्माण के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21(20)ब दिनांक– 28.07.2023 द्वारा कुल रूपए 85,08,600/–(पचासी लाख आठ हजार छः सौ) रूपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विभागीय आवंटनादेश सं0 56(20)ब दिनांक 20.03.2024 द्वारा कुल राशि 42,54,300/–(बयालीस लाख चौवन हजार तीन सौ) आवंटित की गई है। प्रभारी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 275/रा0, दिनांक 03.06.2025 के आलोक में जिला संयुक्त औषद्यालय–सह–कार्यालय, रामगढ़ के भवन निर्माण के लिए निम्नलिखित तालिकानुसार कुल राशि 39,77,145/–(उनचालीस लाख सत्तहतर हजार एक सौ पैतालीस) रुपए मात्र आवंटित की जाती हैः–

योजना की विवरणी	विपत्र कोड	स्वीकृत राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
जिला संयुक्त औषद्यालय–सह –कार्यालय, रामगढ़ के भवन निर्माण	20s-4210-03-200-08-01-05-45	85,08,600	82,31,445.11	42,54,300	39,77,145	82,31,445
कुल					39,77,145	82,31,445

2. आवंटित की जाने वाली राशि का व्यय सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के आलोक में सभी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जायेगा।

21(20)ब
28/11/2025

3. योजना पर होने वाले व्यय का वहन राज्य स्कीम बजट शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–200–अन्य पद्धतियाँ–08–आयुष प्रक्षेत्र–आधारभूत संरचना–01–आयुष प्रक्षेत्र–आधारभूत संरचना–05–निर्माण– 45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210–03–200–08–01–05–45) में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(शिवजी वर्मा)	(ध्रुव प्रसाद)	(विद्यानंद शर्मा पंकज)	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव ।	उप सचिव।	अपर सचिव।	अपर मुख्य सचिव।

4. योजना हेतु आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ होंगे, जो डिपोजिट कार्य हेतु राशि का पुस्तान्तरण कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, रामगढ़, झारखण्ड को रिमिटान्स शीर्ष– 8782, स्थानीय जमा निधि–102 में प्रतिहस्ताक्षरित चालान के माध्यम से जमा करेंगें ।

इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

5. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0– 2561, दि0– 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।

6. राशि से संबंधित डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार/विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उनका दायित्व होगा कि व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय भारत सरकार, महालेखाकार एवं स्वास्थ्य विभाग को समर्पित करेंगे।

7. योजना में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी । कार्यो की गुणवत्ता एवं प्रगति का मूल्यांकन Third Party Quality Control एजेन्सी से कराना सुनिश्चित करते हुए उसका प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

8. प्रत्येक असैनिक एवं अभियन्त्रण कार्य कराने के पूर्व एवं उसके बाद उचित फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराकर उसे सत्यापन हेतु अभिलेख के रूप में रखा जाएगा।

9. योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, रामगढ़ द्वारा कराया जाएगा तथा यह कार्य पर्यवेक्षकीय अभियन्ता द्वारा नियमित रूप से पूर्ण कराया जाएगा।

10. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही किया जाएगा तथा योजना कार्य एकरारनामा में उल्लेखित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाएगा। एकरारनामा मानक शर्त्तो पर आधारित होगा तथा निविदा/एकरारनामा शर्त्तो में किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जायगी। दायित्वों का सृजन बिना सरकारी आदेश प्राप्त नही किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

12. संबंधित कार्य एजेन्सी द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

21(20) के
28/11/2025

ज्ञाप संख्याः– 20/आयुष–बजट–07/2023 21(20) के राँची, दिनांकः– 28.11.2025

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/सिविल सर्जन, रामगढ़/उपायुक्त, रामगढ़/अभियान निदेशक, एन0एच0एम0/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव /निदेशक, आयुष, झारखण्ड/जिला कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़, झारखण्ड/ योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर सहायक, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिवजी वर्मा)	(ध्रुव प्रसाद)	(विद्यानंद शर्मा पंकज)	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव ।	उप सचिव।	अपर सचिव।	अपर मुख्य सचिव।